**दिनांक 01.08.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में कलस्टर विकास की योजना के संबंध में अनुश्रवण हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

**उपस्थिति:–** सूची संलग्न।

सर्वप्रथम सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 01.06.2013 को सम्पन्न कलस्टर विकास योजना की बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्टि प्रदान की गई। इसी क्रम में सचिव उद्योग द्वारा निदेशक, एम0एस0एम0ई0, रॉंची को निदेशित किया गया कि भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन लम्बित योजनाओं का अलग–अलग कार्यावली एजेंडा दिनांक 01.09.2013 को अगली आयोजित बैठक में विमर्श/निर्णय हेतु तैयार करें।

साथ ही, निदेशक, एम0एस0एम0ई0, रॉंची को सचिव उद्योग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि सभी संबंधित कलस्टर योजना के Anchor Developer संस्थान/एशोसियेशन तथा Cluster Development Executive (CDE) को भी अगली आयोजित बैठक में बुलावे तथा उसकी सूचना उद्योग निदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, रॉंची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन–सह–एजेन्डा में वर्णित कलस्टर योजना से संबंधित क्रियान्वित किये जा रहे योजनाओं का क्रमानुसार बैठक में समीक्षा की गई समीक्षोपरान्त सचिव उद्योग–सह–अध्यक्ष द्वारा निम्नवत निदेश दिये गये:–

1. **रिफ्रेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा:–** निदेशक, एम0एस0एम0ई0, रॉंची द्वारा बताया गया कि SPVs का गठन हो गया। Pollution Control Board से NOC के अभाव में SPVs के Contribution में थोड़ी परेशानी हो रही है। झारखण्ड रिफ्रेक्ट्रीज एशोसियेशन, चिरकुण्डा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उपायुक्त, धनबाद के स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न समस्याओं पर कई दौरों पर बैठक हुई है जिसमें समस्या के समाधान हेतु आश्वासन भी दिया गया है।

सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा निम्न निदेश दिये गये:–

(क) SPVs का Registration करावे तथा ESCRO Account खोलकर contribution संचित करें।

(ख) निदेशक, एम0एस0एम0ई0, रॉंची को निदेशित किया गया कि श्री एच0पी0 बियानी से सम्पर्क कर इस योजना के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई का हल शीघ्र करें।

(ग) उपायुक्त, धनबाद के स्तर सम्पन्न बैठकों में लिए गये निर्णय एवं उसके अनुपालन संबंधी पत्रों से विभाग को अवगत कराने का निदेश उपस्थित प्रतिनिधि को दिया गया।

(घ) उपस्थित प्रतिनिधि एवं निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को यह भी निदेशित किया गया कि Pollution की समस्या के निदान के संबंध में Central Pollution Control Board (CPCB) से पत्राचार करें।

2. **ब्रास एवं ब्राइन्ज यूटेन्सिल्स कलस्टर, विष्णुगढ़, हजारीबाग तथा जरियागढ़, खूँटी**:— उक्त दोनों कलस्टर योजनाओं पर विचार—विमर्श के उपरान्त सचिव उद्योग द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये:—

(क) इन दोनों कलस्टर योजनओं के संबंध में महाप्रबन्धक, हजारीबाग/राँची तथा निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को निदेशित किया गया कि NBJK से feedback प्राप्त करें तथा योजना को Mobilise करें।

(ख) महाप्रबन्धक, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि 50 प्रतिशत माईक्रो इकाई है, SPV का गठन हो गया है। इस पर सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि यूटेन्सिल्स के अलावा Dokra Crafts के निर्माण को भी प्रोत्साहित करें जिसे झारक्रफ्ट से जोड़कर इसकी Marketing भी किया जाय।

(ग) इस संबंध में निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को निदेशित किया गया कि TSRD-NGO तथा Tata से भी सम्पर्क कर इन योजनाओं को Mobilise करने का प्रस्ताव तैयार करें।

3. **ब्लैकस्मिथी/हैण्ड फोर्जिंग कलस्टर, भेण्ड्रा, बोकारो तथा राँची, रामगढ़ रिफ्रेक्ट्री कलस्टर, राँची**:— इन दोनों कलस्टर योजना के संबंध में चर्चा के क्रम में निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं का Detail Survey Report (DSR) तैयार किया जा चुका है। भारत सरकार के कार्यालय को DSR भेजने के पूर्व विभागीय स्तर से राज्य सरकार से validation प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में सचिव उद्योग—सह—अध्यक्ष द्वारा निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को निदेश दिया गया कि इस प्रकार के समान योजनाओं का एक Check List तैयार कर निदेशक उद्योग को भेजें। जिसके क्रम में MSE-CD योजनाओं पर validation जाँच हेतु निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करें। validation Committee के अनुशंसोपरान्त राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति/अनुमोदन हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय। Validation Committee के अध्यक्ष/सदस्य एवं सदस्य सचिव निम्नवत होगें:—

| | |
|---|---|
| 1. निदेशक उद्योग— | अध्यक्ष |
| 2. MSME-CD योजना से संबंधित महाप्रबन्धक, जि0उ0के0— | सदस्य |
| 3. प्रबन्धक, सिडबी, राँची— | सदस्य |
| 4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इन्डिया, राँची— | सदस्य |
| 5. उप उद्योग निदेशक,(MSE-CDP), उद्योग निदेशालय, राँची— | सदस्य |
| 6. संबंधित Cluster के Cluster Development Executive (MSME)- | सदस्य |
| 7. निदेशक, एम0एस0एम0ई0, नामकूम, राँची— | सदस्य—सचिव |

Anirudh

MSE-CD योजना हेतु गठित Validation Committee की बैठक का आयोजन कर इकाईवार MSE-CDP योजनाओं के DSR पर समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। संबंधित कलस्टर योजना के DSR Validation पर राज्य सरकार से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर विकास आयुक्त का कार्यालय (MSME) भारत सरकार के स्तर पर MSE-CD योजना के DSR पर स्वीकृति प्राप्ति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा।।

4. प्रतिवेदन–सह–कार्यावली में क्रमांक–6 से 11 में अंकित MSE-CD योजनाओं यथाः–

**i) Black Smithy Cluster, Lari, Ramgarh.**

**ii) Bamboo Cluster- Bundu and Sonahatu, Ranchi.**

**iii) Food Processing Cluster, Ranchi.**

**iv) Engineering Cluster, Tutudana, Ranchi.**

**v) Silver Jwellary Cluster, Sukarigarha, Ramgarh.**

**vi) Fly Ash Cluster, Jamshedpur.**

के संबंध में निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बैठक में सचिव उद्योग को बताया गया कि इन सभी कलस्टर योजनाओं के QSR पर MSME, भारत सरकार के स्तर से Approval प्रदान किया जा चुका है तथा DSR तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक योजना के लिए 1.00 लाख रूपये राशि की स्वीकृति भी प्रदान किया जा चुका है जिसके क्रम में उपरोक्त सभी योजनओं का DSR सभी संबंधित Cluster Development Executive (CDE) के द्वारा तैयार किया जा रहा है।

Fly Ash Bricks Cluster-Jamshedpur के बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा इस योजना का DSR निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति निदेशक उद्योग को हस्तगत कराया गया। सचिव उद्योग द्वारा Fly Ash Brick के उत्पादन एवं इसके गुणवता पर बैठक में प्रकाश डालते हुए इसका अधिक से अधिक उपयोग राज्यों में विभिन्न योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना की निर्माण कार्य में किये जाने की दिशा में प्रक्रियाधीन परियोजना में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, जिडको, राँची को सचिव उद्योग द्वारा निदेशित किया गया।

श्री शरद पोद्दार, जसिया, राँची के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में बताया गया कि Food Processing Cluster तथा Engg. Cluster, Tupudana के SPVs के समक्ष EM-Part-II में निबंधन नहीं रहने के कारण कठिनाई हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों के पास EM Part-II का Acknowldgement प्रमाण पत्र नहीं है।

विमर्शोपरान्त सचिव उद्योग द्वारा निदेशित किया गया कि रियाडा, राँची तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची अभियान चलाकर Em-Part-II निर्गत करें। जसिया, राँची के प्रतिनिधि श्री पोद्दार को इसे क्रियान्वित करने की दिशा में इकाईयों को Mobilise करने हेतु निदेशित किया गया। जहाँ

तक Pollution तथा अन्य आवश्यक NOC की आवश्यकता होगी इस पर आगे विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

Food Processing Cluster यथा--Dhanbad Floor Mill Cluster की 73 इकाईयाँ है। इसी प्रकार देवघर Pera Cluster आदि के संबंध में सचिव उद्योग द्वारा जानकारी दी गई है कि Quality production certification एवं आकर्षक तथा टिकाउ Packaging आदि पर उत्पादों का marketing उच्च स्तर का हो सकता है। इस संदर्भ में चर्चा के क्रम में सचिव उद्योग द्वारा निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को निदेशित किया गया कि FPO, हैदराबाद, National Institute of Packaging, Calcutta जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाय जिससे कि भवष्यि में ऐसे कलस्टर को Quality Products तथा आकर्षक एवं टिकाऊ Packaging के माध्यम से अधिक आय का लाभ प्राप्त हो सकेगा। श्री शरद पोद्दार ने बताया कि राँची के नगड़ी में लगभग 7--8 राईस मिल हैं जिसे कलस्टर के रुप में विकसित किया जा सकता है। सचिव उद्योग ने उन्हें सुझाव दिया कि इसका प्रस्ताव तैयार करायें।

5. प्रतिवेदन--सह--कार्यावली के क्रमांक 12 से 15 में अंकित MSE-CD योजनाओं यथा-- **Dhanbad Floor Mill Cluster/Sari Calandering Cluster, Chirkunda, Dhanbad/Steel Utencils Cluster, Deoghar तथा Deoghar Pera Cluster** से संबंधित योजनाओं के संबंध में निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बताया गया कि इन सभी योजनाओं के QSR की तैयारी हेतु संबंधित जिला के MSME शाखा कार्यालय, के Cluster Development Executive द्वारा आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रह एवं संकलन किया जा रहा है।

सचिव उद्योग द्वारा निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को निदेशित किया गया कि आगामी निर्धारित बैठक में भाग लेने हेतु सभी Cluster Development Executive (CDE) को अपने स्तर से आमंत्रित किया जाय तथा प्रक्रियाधीन योजना एवं GOI द्वारा Approved Cluster योजनाओं का अलग--अलग एजेन्डा तैयार करें। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया कि Sari Calandering Cluster योजना को झारक्राफ्ट के साथ सम्बद्ध करायें।

6. <u>उडेन फर्नीचर कलस्टर, राँची</u>-- इस योजना को एजेन्डा में भूलवश अंकित नहीं हो पाने की तथ्य निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बताया गया। इस योजना से संबंधित QSR एवं DSR निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची को पत्रांक 857, दिनांक 20.03.2013 को उपलब्ध करा दी गई है। इस योजना के बैठक में उपस्थित प्रायोजक उद्यमिता विकास संस्थान--अहमदाबाद के द्वारा बताया गया आज कल फर्नीचर निर्माण प्लाई उड पर आधारित है लकड़ी का बहुत कम उपयोग होता है। सचिव उद्योग द्वारा परामर्श दिया गया कि सर्वप्रथम इस दिशा में वन विभाग, झारखण्ड सरकार को योजना के तथ्यों से अवगत करावें तथा इस विभाग से NOC प्राप्त करें।

7. <u>आदित्यपुर ऑटो कलस्टर</u>– इस योजना के संबंध में अब तक का व्यय विवरणी से सचिव उद्योग–सह–अध्यक्ष को प्रबन्ध निदेशक, द्वारा अवगत कराया गया।

**<u>CETP</u>**- इस योजना के संबंध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से आयडा द्वारा कच्चा Apporach Road तैयार किया जा चुका है। इस योजना के उद्घाटन हेतु विमर्श के क्रम में सचिव उद्योग द्वारा प्रबन्ध निदेशक को प्रस्ताव भेजने हेतु निदेशित किया गया।

Hi-tech Lab:- इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि अक्टूबर 2013 तक तैयार कर लिया जायेगा। Lab के संबंध में किसी भी proposal को Exclude करने के पूर्व Appex-Committee को Sub-head wise प्रतिवेदन भेजने हेतु सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया कि selected contractor यदि ससमय कार्य पूरा नहीं करे है तो उसे हटा दें। योजना में यदि किसी प्रकार का Diversion परिलक्षित हो तो भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद Diversion क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया। यदि टाटा मोटर्स से अभिमत (consent) आवश्यक हो तो उनसे सलाह/अभिमत प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

8. MSME-DI Ranchi ने बताया कि धनबाद में Auto service cluster को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सचिव उद्योग ने उन्हें सुझाव दिया कि इस cluster की संभाव्यता के संबंध में एक बैठक धनबाद में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ करें। योजना की लाभप्रदता का आकलन भी करायें। Pollution Control Board के प्रतिनिधि को भी उक्त बैठक में आमंत्रित कर सभी पहलुओं का अध्ययन कर लें।

9. MSME-DI ने सूचित किया कि सरायकेला–खरसावां में Grass mat etc बनाने का काम महिला समूह द्वारा किया जाता है। महिला समूह की उपस्थित प्रतिनिधि को सुझाव दिया गया कि वे जमशेदपुर में कला मंदिर से संपर्क करें। इस पर कला मंदिर द्वारा ASIDE योजनान्तर्गत कार्य किया जाना है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चाईबासा इस महिला समूह को सहयोग करें।

10 दिनांक 01.09.2013 को अगली बैठक एम0एस0एम0ई0, रियाडा भवन, नामकुम, रॉंची में आयोजित करने का निदेश दिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/–

सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2402 /रॉंची, दिनांक 20/08/2013
9/उ0नि0/कलस्टर(बैठक)16/2009

प्रतिलिपि: सचिव उद्योग, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रॉंची/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची/प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट, रातु रोड, रॉंची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रॉंची/मुख्य महाप्रबन्धक, नबार्ड के प्रतिनिधि/निदेशक, MSME, रियाडा भवन, नामकुम,

Anirudh

राँची/उप महाप्रबन्धक, सिडबी, राँची/सहायक निदेशक(हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, आत्माराम भवन, तृतीय तल्ल राधेश्याम गली, मेन रोड़, राँची–834004/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इन्डिया, प्रधान टावर, द्वितीय तल, मेन रोड़, राँची/महाप्रबन्धक, जिडको, राँची/श्री एच0बी0बियानी, इंडियन रिफेक्ट्रीज मेकर्स एसोसियेशन, कोलकाता/श्री बजरंग जलान/अरूण गाद्यान, चिरकुण्डा रिफेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री बसन्त अग्रवाल, अध्यक्ष, झारखण्ड रिफ्रेक्ट्री मेकर एशोसियेशन, चिरकुण्डा/श्री रणधीर शर्मा, मेसर्स के0एम0 इन्डस्ट्रीज, तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची एवं JSIA कलस्टर डेवलपमेंट/श्री सुनील पोतदार, सी0एम0डी0 सनेक प्रोसेसिंग इन्डिया लि0, प्लोटनं0–67–82 तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची/श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक/श्री निरंजन तिर्की, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, राँची/प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसॉवा/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/प्राचार्य, मिनी टूल रूम टाटीसिलवे, राँची/श्री जयप्रकाश साहू, अवर सचिव, उद्योग निदेशालय, राँची/श्री शरद कुमार पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इन्ड0 एसोसियेशन (JSIA), कोकर, राँची/श्री लादू राम शर्मा, अध्यक्ष, फलाई एस ईट निर्माता संघ, कोल्हान 103, जे0आर0एपार्टमेंट, मारवाडीपाड़ा रोड़, जुगसलाई, जमशेदपुर/भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, सी0–29 पसा कोठी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/धनबाद/सचिव, रियाडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/13

उप उद्योग निदेशक
झारखण्ड, राँची

Anirudh